

## श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर—17सी, चण्डीगढ़, दूरमाष—0172-2701373 Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

- 1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर०), गुडगांव।
- 2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- 3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- 4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
- कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

कमांकः आई०आर०-2/2022/10764-893 दिनांकः-8/4/२३

विषय:-

हरियाणा राज्य में दिनांक 01-01-2022 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधारा हुई बढोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

पूर्व में हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21–10–2015 में वर्णित भिन्न—भिन्न रोज़गारों में दिनांक 01–01–2022 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकडों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार जून, 2021 के अन्त तक औसत कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक अंक 2848 थे, जो कि अगले छः मास अर्थात दिसम्बर, 2021 तक बढ़कर 2958.10 हो गये हैं। इस आधार पर कुल कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक में 110.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी०पी०आई० संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूटरलाईजेशन है।

तदानुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रिमकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रिमकों के वर्तमान मासिक व दैनिक न्यूनतम वेतन में 3.89 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.01.2022 से हिरयाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती है:—

उप श्रम आयुक्त हरियाणा,चण्डीगढ़

लगातार.....

	क्म	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन	दिनांक	मंहगाई	दिनांक	दैनिक	
	संख्या			(अधिसूचना	01.07.2021	भत्ता	01.01.2022	वेतन	
				दिनांक	से लागू	01.01.2022	से लागू	पतन	
				21.10.2015 के	न्यूनतम -यूनतम	से लागू			
				अनुसार)	वेतन (रू०)	(रू०)	न्यूनतम		
				(ন্ড0)	(क)	(ख)	वेतन (रू०)	()	
	1.		killed	7600.00	9803.24	295.64	(क+ख) 10098,88	( <b>ড়ে0)</b> 388.42	
	2.	अर्धकुशल (ए) Se	mi-Skilled	7980.00	10293.36	310.42	10603.78	407.84	
		(बी)		8379.00	10808.02	325.94	11133.96	428.23	
	3.		illed	8797.95	11348.43	342.24	11690.67	449.64	
		(बी)		9237.85	11915.86	359.35	12275.21	472.12	
Highly skilled	4.	उच्च कुशल		9699.74	12511.65	377.32	12888.97	495.73	
	5.	लिपिकीय तथा	(ix) मैट्रिक से कम	7980.00	10293.36	310.42	10603.78		
Clerical and g staff	genera	। सामान्य स्टाफ	(x) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	10808.02	325.94	11133.96	407.84	
			(xi) स्नातक या ऊपर	8797.95	11348.43	342.24	11690.67	449.64	
N.			(xii) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	10808.02	325.94	11133.96		
		×	(xiii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	11348.43	342.24	11690.67	428.23 449.64	
			(xiv) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	11915.86	359.35	12275.21	472.12	
			(xv) निजी सहायक	9699.74	12511.65	377.32	12888.97	495.73	
		 	(xvi) निजी  सचिव	10184.73	13137.23	396.19	13533.42	520.52	
	6.	डाटा एन्टरी आपरेटर		8797.95	11348.43	342.24	11690.67	449.64	
driver	7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	11915.86	359.35	10075.04		
diver		F	भारी वाहन	9699.74			12275.21	472.12	
	8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	12511.65	377.32	12888.97	495.73	
security guard	1	3	शस्त्र सहित		10293.36	310.42	10603.78	407.84	
<u> </u>	9.	सुरक्षा निरीक्षक /	TLOUGE ACCO. ITHERESES SOUR	9237.85	11915.86	359.35	12275.21	472.12	
Security inspe security office security super	ctor/ r/	सुरक्षा सुपरवाईजर	No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसचना से निकाल दिया गया है।						
cleaner in any	/ 1	समाइ कमचारा	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार जो कि CWP No. 25328 of 2015						
employment	- 1	197(1)	uned as Gurugram Industrial Association and and other Version of						
		नियोजन में of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना						में होना	
			जीवित वहारी है। अतः इस श्रेणी की न्यनतम् आयं अधिसचित नहीं की जा उसे है। परान						
		8	विनिष्य नियोजनी में कीयरेत सफ़ीई कमचारी दिनाक 21.10.2015 की अधिसचना जारी होने से						
1	। १९९१ पर्रा चार्चा स्थनतम् वर्तन् पनि का हेकटार उट्या।								
नोट:- कम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।									

उप श्रम आयुक्त हरियाणा,चण्डीगढ़ उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.01.2022 से ईट भटठा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 3.89 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.01.2022 से हरियाणा राज्य में ईट भटठा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती है:—

Ф0	कर्मचारियों का प्रवर्ग	4-4-				
000000000000000000000000000000000000000	कमचारिया का प्रवग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार			
सं0			AND SHARE AND SHARE SHAR			
1.	पथेरा	575.37 रूपये	647.30 रूपये			
			047.00 (744			
2.	भराई वाला(भट्ठें में ईटों की	19.00	जार ईट भट्ठे में भरना परन्तु खेत से भट्ठे			
	भराई)	तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदरी				
		22.95 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर				
		जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों				
		पर ही लागू होंगी।				
		(ख) एक हजार मीटर दूरी तक 212.84 रूपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़				
		या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटे भट्ठों से भरना। इस				
		से अधिक अतिरिक्त मजदू	री 22.95 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर			
		या इसके भाग पर दी जाये	जायेगी।			
3.	कैरीवाला	45.98 रूपये प्रति एक हजा	र ईट			
4.	निकासी वाला	189.85 रूपये प्रति एक हज	गर ईट			
5.	चुनाई वाला	<b>11690.67 रूपये</b> प्रति मास				
6	मिस्त्री / कोलमैन / जलाई वाला	11690.67 रूपये प्रति मास				

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने—2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को

पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

े कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः आई०आर०-2/2022//0894-9०

दिनांकः | ८ ८ | ५ । २२

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।

2. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ

3. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।

4. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

5. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।

6. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।

7. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।

उप श्रेम आयुक्त हरियाणा,चण्डीगढ़

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः आई०आर०-2/2022/10901-11106 दिनांकः 8/4/३३

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
- 2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राईवेट विश्वविधालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
- 3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
- 4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्धमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।

5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।

6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।

7. हरियाणा श्रम कल्याणा बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः आई०आर०-2/2022/ 1107 - 276 दिनांकः 8/4/22 इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :--

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोशिएसनों के पदाधिकारियों को।

2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांकः आई०आर०-2/2022/ //277 दिनांकः 8/4/22 इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :--

1. आई०टी० सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

उप श्रम आयुक्त हरियाणा,चण्डीगढ़ कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।